भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 323
2 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

पीएलआई 1.2 योजना की मुख्य विशेषताएं

323. श्री भर्तृहरि महताबः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशिष्ठ इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध योजना (पीएलआई) के तीसरे चरण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) उक्त चरण के अंतर्गत किस श्रेणी के उन्नत और उच्च श्रेणी के इस्पात को लक्षित किया गया है;

(ग) घरेलू निर्माताओं और एमएसएमई को अपेक्षित लाभों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पीएलआई योजना के पिछले दौरों के अंतर्गत कुल कितनी निवेश प्रतिबद्धताएं, रोजगार सृजन और क्षमता संवर्धन प्राप्त हुआ?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (घ): विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹6,322 करोड़ के बजट के साथ अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से विशेष इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह योजना वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2030-31 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए उन कंपनियों को प्रोत्साहन प्रदान करती है, जो निर्दिष्ट निवेश और उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करती हैं। पीएलआई 1.2 के लिए विशेष स्टील उत्पाद उप-श्रेणियों में एलॉय स्टील, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएन्टेड (सीआरजीओ), अमॉर्फस स्टील, क्लैडेड स्टील, स्टेनलेस स्टील वायर, होज़ वायर, कोटेड स्टील उत्पाद आदि शामिल हैं। पहले और दूसरे चरण में क्रमशः 19 कंपनियों ने ₹27,106 करोड़ और 25 कंपनियों ने ₹17,000 करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। अक्टूबर 2025 तक, भाग लेने वाली लाभार्थी कंपनियों ने ₹23,022 करोड़ का निवेश किया है, 2.33 मिलियन टन विशेष इस्पात का उत्पादन किया है, और 13,343 रोजगार उत्पन्न किए हैं।

****